पार्टी के लिए कई मायनों में ऐतिहासिक होगा। ... है। मुखौटा कोई है और असली ...

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

विज्ञप्ति संख्या–पी॰आर॰ 11/2024

राज्य के +2 स्तरीय शिक्षा प्रदान करने वाले मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में सत्र 2022–24 में नामांकित रहे वैसे विद्यार्थी, जिनका अपने +2 विद्यालय/महाविद्यालय से लगातार अनुपस्थिति के कारण नामांकन रद्द कर दिया गया है, को इन्टरमीडिएट वार्षिक प्रायोगिक परीक्षा, 2024 में सम्मिलित नहीं कराने के संबंध में +2 स्तरीय शिक्षण संस्थानों के प्रधान/इन्टरमीडिएट वार्षिक प्रायोगिक परीक्षा, 2024 के केन्द्राधीक्षकों/जिला शिक्षा पदाधिकारियों/संबंधित विद्यार्थियों/अभिभावकों एवं अन्य हितधारकों के लिए आवश्यक सूचना

एतद् द्वारा उपर्युक्त सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि इन्टरमीडिएट वार्षिक प्रायोगिक परीक्षा, 2024 राज्य के सभी जिलों में निर्धारित विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर **दिनांक 10.01.2024 से 20.01.2024 तक** संचालित होनी है। उक्त परीक्षा हेतु दिनांक 26.12.2023 को प्रवेश पत्र जारी किया जा चुका है।

2. शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए विद्यार्थियों की कक्षा में सतत् उपस्थिति आवश्यक है। इस क्रम में राज्य के +2 स्तरीय शिक्षण संस्थानों के द्वारा, कक्षा से लगातार अनुपस्थित रहने वाले कई विद्यार्थियों का नामांकन रद्द किया गया है।

3. इस संबंध में शिक्षा विभागीय पत्रांक 09/विविध–34/2023–800, दिनांक 21.10.2023 से प्राप्त निदेश के आलोक में वैसे विद्यार्थियों जिनका अपनी कक्षा में लगातार अनुपस्थिति के कारण संबंधित +2 स्तरीय शिक्षण संस्थानों के द्वारा नामांकन रद्द कर दिया गया है, को आगामी वार्षिक इन्टरमीडिएट परीक्षा में सम्मिलित नहीं कराया जाना है। विभागीय निदेश के अनुपालन में समिति के पत्रांक BSEB(SS)/KEN/1126/2023, दिनांक 25.10.2023 के माध्यम से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को नामांकन रद्द किए गए विद्यार्थियों को उत्प्रेषण जाँच परीक्षा में शामिल नहीं करने का अनुरोध भी किया जा चुका है।

4. इसी क्रम में विभागीय पत्रांक 09/विविध–34/2023–34, दिनांक 04.01.2024 के द्वारा भी इस आशय का निदेश निर्गत किया गया है कि वैसे विद्यार्थी जिनका नामांकन रद्द किया जा चुका है, को इन्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा, 2024 में सम्मिलित नहीं कराया जाए।

5. **उपर्युक्त वर्णित निदेश के आलोक में वैसे सभी विद्यार्थी, जिनका नामांकन पंजी से नाम काट दिया गया है, का समिति के स्तर से निर्गत इन्टरमीडिएट वार्षिक प्रयोगिक परीक्षा, 2024 का प्रवेश पत्र निरस्त किया जाता है। इन्टरमीडिएट वार्षिक प्रयोगिक परीक्षा, 2024 के केन्द्राधीक्षक एवं सभी +2 स्तरीय शिक्षण संस्थान के प्रधान एवं जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि किसी परिस्थिति में ऐसे विद्यार्थियों को उक्त प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं कराया जाए। सभी शिक्षण संस्थान के प्रधान अपने संस्थान के नामांकन रद्द किए गए विद्यार्थियों की सूची दिनांक 09.01.2024 की संध्या तक अनिवार्य रूप से संबंधित प्रायोगिक परीक्षा केन्द्र के केन्द्राधीक्षक को उपलब्ध करा देंगे।** यदि किसी शिक्षण संस्थान या प्रायोगिक परीक्षा केन्द्र के द्वारा वैसे विद्यार्थी को प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित कराया जाता है, तो उसकी पूर्ण जवाबदेही +2 स्तरीय शिक्षण संस्थान के प्रधान एवं संबंधित प्रायोगिक परीक्षा के केन्द्राधीक्षक की होगी।

परीक्षा नियंत्रक (उ॰मा॰

Scanned with CamScanner